न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री देवेन्द्र कुमार, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –145/2025

जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर –2025/174

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. गंगा देवी पत्नी श्री भंवरलाल 2. प्रदीप कुमार पुत्र भंवरलाल 3. विजय लक्ष्मी पुत्री भंवरलाल जातियान–जाट,निवासीगण– अरनियाला तहसील–रियांबड़ी 4. राजूदेवी पत्नी श्रीश्रीराम जाति–जाट,निवासी–रियांबड़ी		सरकार जरिये तहसीलदार, रियांबड़ी

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री बाबूलाल खोजा।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां ।

:: **निर्णय** :: **दिनांक :– 28.04.2026**

1–अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार, रियांबड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 149/2025 अन्वान सरकार बनाम गंगोदवी वगैराह व अन्य प्रकरण दफा 91 एल.आर.एक्ट. में पारित निर्णय दिनांक 06.10.2025 के विरूद्ध पेश की हैं।

2–अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां उपस्थित हुवे।

3–वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया है कि पटवारी हल्का अरनियाला द्वारा तहसीलदार,रियांबड़ी को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि खेत खसरा नम्बर 502,504/722 रकबा 0.06 व 0.10 हैक्टेयर मौजा अरनियाला रास्ता पर अपीलांटस ने संवत 2082 में मूंगफली की फसल की बुवाई कर अतिक्रमण कर लिया गया व अतिक्रमण पश्चातवृति है।

पटवारी हल्का,अरनियाला की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस के खिलाफ धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट्स को तलब करने का आदेश पारित किया गया ओर प्रथम तारीख पेशी पर ही नोटिस इंकार रिपोर्ट को अपीलांटस की तामिल मानते हुए बिना कोई एकपक्षीय कार्यवाही किये ही दिनांक 06.10.2025 को अधीनस्थ

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

न्यायालय ने अपीलांट को पश्चातवृति अतिक्रमी मानते हुए अपीलांटस को बेदखल करने व तीन माह का सिविल कारावास से दण्डित करने का व 56/–रूपये जुर्माना से दण्डित कर अपीलांटस को गिरफ्तार करने हेतु गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया।

इस प्रकार अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक सामान्य सिद्धान्तो के खिलाफ है,क्योंकि अपीलांटस को अधीनस्थ न्यायालय ने कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा अपीलांटस के पास अधीनस्थ न्यायालय से जारी किया गया कोई भी नोटिस नहीं आया एवं न ही कोई सुचना हुई। अपीलांटस को तामिल करवाने के लिए कोई तामिल कुलिन्दा व कर्मचारी नहीं आया केवल मात्र झुठी व मिथ्या इन्कारी रिपोर्ट के आधार पर एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क है कि पटवारी हल्का ने रिपोर्ट में अंकित किया है कि दिनांक 09.07.2025 को अपीलांटस को राजस्व टीम द्वारा बेदखल किये गये थे जो रिपोर्ट बिल्कुल ही झुठी व मिथ्या रिपोर्ट है क्योंकि पूर्व में अपीलांटस के खिलाफ कोई कार्यवाही व प्रकरण दर्ज नहीं हुआ था और न ही किसी सक्षम अधिकारी ने बेदखल करने का आदेश पारित किया हो ऐसी दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। यह प्रथम कार्यवाही एवं प्रकरण है इसलिए अपीलांटस पश्चातवृति अतिक्रमी की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते है बल्कि राजनैतिक पार्टी बाजी की वजह से गलत रूप से कार्यवाही करके जैर अपील निर्णय पारित किया गया है जो कानूनी रूप से ही निरस्त किये जाने योग्य है।

यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में खसरा नम्बर 502, 504/122 के अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया जबकि खसरा नम्बर 504/122 पर अपीलांटस का कब्जा व अतिक्रमण हो ऐसी मौका रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेकर्ड की बिना कोई जांच किये ही एकपक्षीय आदेश पारित करने में कानूनी रूप से बडी भारी भूल की गई है जो आदेश निरस्त करने योग्य है।

पटवारी हल्का मौके पर जांच करने हेतु कभी आये नहीं तथा मौके पर अपीलांटस के खेत खसरा नम्बर 502, 504/722 पर किसी भी स्थान पर अतिक्रमण नहीं है, मौके पर रास्ता पूर्ण रूप से खुल्ला है एवं आवागमन चालू है, उसके बावजूद पटवारी हल्का ने मौके पर बिना कोई जांच ही रास्ते पर अतिक्रमण होना गलत बताया गया है जबकि रास्ते पर अपीलांटस का अतिक्रमण नहीं है। अपीलांट द्वारा पूर्ण रूप से अतिक्रमण हटा लिया गया है इसलिए अपीलांटस को दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं है। आज दिन खसरा नम्बर 502, 504/722 पर अपीलांटस का किसी भी स्थान पर कोई अतिक्रमण व कब्जा नहीं है, पूर्ण रूप से हटा लिया गया है और रास्ता पर आवागमन चालू है ऐसी स्थिति में जैर अपील निर्णय कानूनी रूप से भी निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

विद्वान वकील प्रार्थी का यह भी कथन है कि खसरा नम्बर 502 व 504/722 के पास ही अपीलांटस के खातेदारी का खेत है और आज दिन अपीलांटस का अपनी खातेदारी की भूमि के अलावा रास्ते की एक इंच भूमि पर कब्जा व अतिक्रमण नहीं है। जिसके संबंध में अपीलांटस ने

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

अधीनस्थ न्यायालय में अपने शपथ पत्र प्रस्तुत किया हैं एवं तहसीलदार,रियांबड़ी की रिपोर्ट दिनांक 24.10.2025 में भी अतिक्रमण हटा लिया गया की रिपोर्ट पेश की हैं। अतः निवेदन हैं कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.10.2025 को अपास्त किया जावें।

राजपैरोकार का बहस में कथन है कि गैर सायल द्वारा ग्राम अरनियाला के खसरा नम्बर 502,504 / 722 गै0मु0 रास्ता पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर दिनांक 09.07.2025 को राजस्व टीम मय पुलिस जाब्ता के तहसीलदार,रियांबड़ी की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाया गया था तथा गैर सायलान द्वारा पुनः इसी रास्ता की भूमि पर पुनः अतिक्रमण किये जाने से पटवारी हल्का पटवार मण्डल,अरनियाला द्वारा न्यायालय तहसीलदार,रियांबड़ी में पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश किये जाने पर प्रकरण न्यायालय में दर्ज कर नोटिस जारी किये गये तथा नोटिसों पर विधिवत तामिल होने के बावजूद गैर सायल उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर निर्णय पारित किया गया हैं। गैर सायल को इस प्रकरण की पूर्णतया जानकारी होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थिति नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने विधिवत निर्णय दिनांक 06.10.2025 पारित किया हैं,इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पटवारी(भू0अ0) पटवारी मण्डल,अरनियाला द्वारा तहसीलदार,रियांबड़ी को इस आशय की रिपोर्ट पेश की हैं कि ग्राम अरनियाला के खसरा नम्बर 502,504 / 722 में से कुल रकबा 0.16 है0 गै0मु0 रास्ता पर (1) गंगादेवी पत्नी भंवरलाल (2)प्रदिप कुमार पुत्र भंवरलाल (3) विजय लक्ष्मी पुत्री भंवरलाल (4) राजूदेवी पत्नी श्री श्रीराम द्वारा सम्वत् 2082 में फसल जरिये मूंगफली कास्त के नाजायज कब्जा कर लिया है। इस रिपोर्ट के अन्त में यह भी नोट अंकित किया हैं कि उक्त अतिक्रमण को दिनांक 09.07.2025 को राजस्व टीम मय पुलिस इमदाद तहसीलदार साहब की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाया गया लेकिन अतिक्रमी प्रभावशाली होने से पुनः अतिक्रमण कर लिया है।

पटवारी हल्का अरनियाला एवं भू0अभिलेख निरीक्षक,बग्गड़ की उपरोक्त टी.पी. रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय तहसीलदार,रियांबड़ी में प्रकरण संख्या 149 / 2025 पश्चातवर्ती का दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को नोटिस जारी किये गये हैं। गैर सायल के नोटिस इस आशय की हल्फिया रिपोर्ट तामिल कुनिन्दा की संलग्न है कि "आसामी स्वयं मिला नोटिस तामिल करने से इन्कार हैं नोटिस की प्रति आबाद मकान पर चस्पा की गई।" इस प्रकार न्यायालय द्वारा गैर सायल को विधिवत नोटिस जारी किये है एवं बावजूद जानकारी गैर सायल अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है,जिससे अपीलांट का यह तर्क मानने योग्य नहीं हैं कि गैर सायल के नोटिस तामिल नहीं करवाये गये है। पटवारी हल्का अरनियाला की रिपोर्ट के संलग्न पेश की गई खसरा परिवर्तित निर्धारण सम्वत् 2082 में खसरा नम्बर 502,504 / 722 रकबा कुल 0.16 हैक्टयर गै0मु0 रास्ता पर गैरसायल द्वारा मूंगफली की कास्त करना अंकित किया हैं तथा

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

टिप्पणी में यह अंकित किया हैं कि उक्त अतिक्रमण को दिनांक 09.07.2025 को राजस्व टीम,पुलिस इमदाद एवं श्रीमान् तहसीलदार सा0 की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाया गया लेकिन अतिक्रमियों ने पुनः अतिक्रमण कर लिया हैं।

उपरोक्त रिपोर्ट एवं रिकार्ड से यह साबित है कि ग्राम अरनियाला के खसरा नम्बर 502,504/722 गै0मु0 रास्ता की जमीन हैं,उक्त भूमि पर अपीलांट ने अपने अधिकार स्वरूप कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किये हैं। पत्रावली के अवलोकन से पूर्व प्रश्नगत भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है तथा अपीलांटस द्वारा पुनः अतिक्रमण किये जाने से उनके विरूद्ध पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की कार्यवाही करते हुए बेदखली/जुर्माना एवं सिविल कारावास की सजा का आदेश दिनांक 06.10.2025 को पारित किया गया है।

इस प्रकरण में तहसीलदार,रियांबड़ी से रिपोर्ट प्राप्त किये जाने पर तहसीलदार,रियांबड़ी ने अपनी रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2025/965 दिनांक 24.10.2025 से भेजी गई रिपोर्ट अनुसार '' मौजा अरनियाला के खसरा संख्या 502,504/722 किस्म भूमि गैर मुमकिन रास्ता से अतिक्रमण हटाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांक/राजस्व/25/893–94 दिनांक 06.10.2025 एवं अतिक्रमी श्री प्रदीपकुमार पुत्र श्री भंवरलाल की ओर से प्रार्थना–पत्र मय शपथ'पत्र वकील श्री रामरतन डिडेल द्वारा प्रस्तुत किया गया जिस पर इस कार्यालय के पत्रांक/राजस्व/2025/912 दिनांक 10.10.2025 के द्वारा हल्का पटवारी अरनियाला एवं भू0अ0निरीक्षक,बग्गड़ को मौका जांच एवं अवरोध को हटाने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर हल्का पटवारी अरनियाला एवं भू0अ0निरीक्षक,बग्गड़ से प्राप्त मौका पर्चा रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ते दिनांक 13.10.2025 को अतिक्रमण हटा लिया गया हैं।''

तहसीलदार,रियांबड़ी की उपरोक्त रिपोर्ट अनुसार मौका पर से अतिक्रमण हटा लिया गया है,इसलिए अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार,रियांबड़ी के निर्णय दिनांक 06.10.2025 द्वारा गैर सायल(अपीलांट) के विरूद्ध बेदखली/जुर्माना तक का पारित निर्णय यथावत रखा जाता हैं। गैर सायलान(अपीलांट्स) को तीन माह का सिविल कारावास से दण्डित आदेश को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति मय मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(देवेन्द्र कुमार)
कलक्टर नागौर
जिला कलक्टर
नागौर